

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
राजीव कुमार रंजन
बनाम
बिहार राज्य एवं अन्य
दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 2300/2022
01 अगस्त 2023
(माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या किसी भी खतरे की आशंका न होने पर आवेदक को शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा?

हेडनोट्स

शस्त्र अधिनियम, 1959 - धारा 13, 14 - शस्त्र नियम, 2016 - नियम 12(3)(ग) - शस्त्र लाइसेंस प्रदान करना बनाम खतरा बोध - शस्त्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार करने के आदेश को चुनौती देने के लिए रिट याचिका कि याचिकाकर्ता को कोई खतरा बोध नहीं है।

निर्णय: यह एक सुस्थापित कानून है कि हथियार लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि आवेदक को कोई खतरा नहीं है - हालांकि धारा 13 और 14 शस्त्र अधिनियम की धारा 13 और 14 शस्त्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए मापदंड निर्धारित करती हैं, हालांकि, इसमें पूर्व शर्त के रूप में इस तरह के वर्गीकरण को निर्धारित नहीं किया गया है कि लाइसेंस केवल उसी व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसे खतरे की आशंका हो - लाइसेंसिंग प्राधिकारी को आवेदक के आवेदन पर विचार करने की आवश्यकता होती है, जिसमें व्यवसाय, पेशे, नौकरी या अन्यथा की प्रकृति को ध्यान में रखा जाता है, जिससे ऐसे आवेदक की अपने जीवन और/या संपत्ति की रक्षा करने की वास्तविक आवश्यकता उत्पन्न होती है - यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति को वास्तविक खतरा या आसन्न खतरा हो, लेकिन यह पर्याप्त होगा यदि आवेदक प्राधिकारी को लाइसेंस प्रदान करने के उद्देश्य से अपने व्यापार, पेशे और व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखने के लिए राजी करने में सक्षम हो - वर्तमान मामले में, प्रतिवादी प्राधिकारी इस तथ्य को ध्यान में रखने में विफल रहे कि याचिकाकर्ता एक व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता है, इसलिए व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उसके जीवन को खतरा है - (अनुच्छेद - 3, 4, 6)

न्याय दृष्टान्त

मनीष कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 2015(4) पी.एल.जे.आर. 212; बिहार राज्य बनाम दीपक कुमार, 2019(1) पी.एल.जे.आर. 664आधारित

अधिनियमों की सूची

शस्त्र अधिनियम, 1959

मुख्य शब्दों की सूची

शस्त्र लाइसेंस प्रदान करने के मानदंड – खतरे की आशंका – सुरक्षा और संरक्षा का खतरा – लाइसेंसिंग प्राधिकारी – व्यवसाय, पेशे, नौकरी की प्रकृति।

प्रकरण से उत्पन्न

शस्त्र लाइसेंस वाद संख्या 20/DM/2018 में विद्वान कलेक्टर, अरवल द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.07.2018।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से: श्री डॉ. आलोक कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं/ओं की ओर से : श्री पी.के. वर्मा (एएजी-3); श्री सरोज कुमार शर्मा, एएजी-8 के एसी

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: घनश्याम अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2022 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 2300**

=====

राजीव कुमार रंजन पिता- स्वर्गीय चंद्रदेव सिंह निवासी- ग्राम- मंगा, पोस्ट- माली, थाना-
बंशी, जिला- अरवल

.... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. आयुक्त, मगध प्रभाग, गया।
3. जिलाधिकारी अरवल।

.... ... उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री डॉ अलोक कुमार सिन्हा, अधिवक्ता
उत्तरदाता/ओं/ओं के अधिवक्ता	:	श्री पी.के. वर्मा (एएजी-3)
		श्री सरोज के. शर्मा, एसी के एएजी-3

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

मौखिक निर्णय

दिनांक : 01-08-2023

1. वर्तमान रिट याचिका, शस्त्र लाइसेंस मामले में विद्वान समाहर्ता, अरवल द्वारा पारित दिनांक 06.07.2018 के शस्त्र लाइसेंस मामला सं. 20/डीएम/2018 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है जिसके द्वारा और जिसके तहत याचिकाकर्ता का शस्त्र लाइसेंस देने का आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि याचिकाकर्ता को कोई खतरा नहीं है। याचिकाकर्ता ने विद्वान प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया द्वारा दिनांक 20.12.2021 के शस्त्र अपील वाद संख्या 148/2018 में पारित अपीलीय आदेश को चुनौती दी है जिसके द्वारा और जिसके तहत विद्वान समाहर्ता, अरवल द्वारा पारित दिनांक 06.07.2018 के आदेश को बरकरार रखा गया है।
2. मामले के संक्षिप्त तथ्य, याचिकाकर्ता के अनुसार, जो एक व्यवसायी और

सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ-साथ अरवल जिला फुटबॉल संघ के महासचिव भी हैं, यह है कि उन्होंने अपनी जान-माल की सुरक्षा के लिए, वर्ष 2017 में अरवल के विद्वान समाहर्ता के समक्ष शस्त्र लाइसेंस अनुदान के लिए आवेदन किया था जिसके बाद पुलिस सत्यापन किया गया था और अरवल के अनुमंडलीय पुलिस अधिकारी ने याचिकाकर्ता को शस्त्र लाइसेंस देने की अनुशंसा की, हालांकि, विद्वान समाहर्ता, अरवल ने दिनांक 06.07.2018 के आदेश द्वारा हथियार लाइसेंस अनुदान देने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा एक अपील दायर करके चुनौती दी गई थी जो एक आदेश तिथि दिनांक 20.12.2021 द्वारा भी खारिज कर दी गई है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने, याचिकाकर्ता के दिनांक 06.07.2018 और दिनांक 20.12.2021 के पूर्वोक्त आदेशों के चुनौती के समर्थन में यह तर्क दिया है कि केवल किसी भी खतरे की धारणा का अस्तित्व का नहीं होना किसी आवेदक को हथियार लाइसेंस देने से वंचित नहीं करेगा और इस सन्दर्भ में उन्होंने एक निर्णय का उल्लेख किया है जो कि 2015 (4) पी. एल. जे. आर. 212 में रिपोर्ट की गई, जिसे **मनीष कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य** के मामले में प्रस्तुत किया गया, पैराग्राफ संख्या 20 और 22 जिनमें से कुछ नीचे पुनः प्रस्तुत हैं:-

“20. इसी प्रकार, अधिनियम की धारा 14 में यह प्रावधान है कि धारा 13 में निहित किसी भी बात के बावजूद, लाइसेंसिंग प्राधिकारी कुछ आधारों पर शस्त्र लाइसेंस देने से इनकार कर सकता है। अधिनियम की धारा 14 में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि आवेदक पर खतरे की आशंका से संबंधित किसी भी साक्ष्य का अभाव भी शस्त्र लाइसेंस देने से इनकार करने का आधार बन सकता है।

22. वास्तव में, अधिनियम की धारा 13 या 14 में निर्धारित कारणों पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि लाइसेंस प्रदान करने या देने से इनकार करने के लिए एक पूर्व शर्त बन जाएगी। लेकिन तथाकथित खतरे की आशंका से संबंधित साक्ष्य अधिनियम की धारा

13 या 14 में विशेष स्थान नहीं पाते हैं। जहाँ तक अधिनियम की धारा 14(1)(बी)(i)(3) का संबंध है, वह केवल उस स्थिति में लागू होता है जब आवेदक कानून के तहत प्रदान किए गए किसी भी कारण से अयोग्य पाया जाता है, लेकिन तथाकथित खतरे की धारणा, धारा 13 या धारा 14 में कोई आधार नहीं होने के कारण, कोई आश्चर्य करेगा कि यह लाइसेंस से इनकार करने का आधार कैसे बना सकता है। इसी तरह, केंद्र सरकार या इस तरह के विचार के लिए किसी भी प्राधिकरण का निर्देश भी उस संबंध में किसी भी वैधानिक प्रावधान के अभाव में सार्थक नहीं होगा। गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार द्वारा जारी दिनांकित 31.03.2010 पत्र पर इस न्यायालय की एकल पीठ ने 2013 की सी.डब्लू .जे. सी. संख्या 2503 (राम बच्चन राय बनाम बिहार राज्य और अन्य) में लाइसेंस से इनकार करने के लिए खतरे की धारणा के मुद्दे पर विचार करते हुए विचार किया है। बिहार राज्य और अन्य) दिनांक 25.08.2014 के आदेश के माध्यम से उपरोक्त रिट आवेदन का निपटारा करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित राय दी है:-

“यहाँ तक कि जिलाधिकारी द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र पर भरोसा करना भी किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाता। परिपत्र की धारा ii(a) वास्तव में केवल यह प्रावधान करती है कि ऐसे व्यक्तियों के आवेदन जिन्हें खतरा महसूस हुआ है, उनके आवेदनों पर विचार किया जा सकता है। इस तरह की आवश्यकता किसी भी तरह से ऐसे व्यक्तियों को बाहर नहीं करेगी जिन्हें इस तरह के किसी भी व्यवहार का सामना नहीं करना पड़ता है और इस साधारण कारण से कि विभाग द्वारा जारी परिपत्र में ऐसी कोई शर्त लगाई जा रही है, वैधानिक प्रावधानों के विपरीत होगी।

4. इस प्रकार याचिकाकर्ता लिए विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि यह एक सुस्थापित कानून है कि हथियार लाइसेंस देने के लिए आवेदन को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि आवेदक को हथियार अधिनियम, 1959 की धारा 13 और 14 के

अनुसार कोई खतरे की धारणा नहीं है, हालांकि हथियार लाइसेंस देने के लिए मापदंड निर्धारित करते हैं, हालांकि, यह इस तरह के वर्गीकरण को एक पूर्व शर्त के रूप में निर्धारित नहीं करता है कि लाइसेंस केवल उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसे खतरे की धारणा है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त आदेशों दिनांक 06.07.2018 और 20.12.2021 को इस प्रभाव से प्रभावित करने के लिए एक अतिरिक्त आधार उठाया है कि शस्त्र नियम, 2016 के नियम 12 (3) (ए) के अनुसार, लाइसेंस प्राधिकरण को व्यवसाय, पेशा, नौकरी या अन्यथा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए एक आवेदक के आवेदन पर विचार करना आवश्यक है, जिससे ऐसे आवेदक को अपने जीवन और/या संपत्ति की रक्षा करने की वास्तविक आवश्यकता होती है। यह प्रस्तुत किया गया है याचिकाकर्ता के शस्त्र लाइसेंस देने के मामले को खारिज करने के दौरान इस पहलू को उपरोक्त दोनों प्राधिकारियों द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता एक व्यवसायी और एक सामाजिक कार्यकर्ता है, इसलिए व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उसकी जान को खतरा है। इस संबंध में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय की विद्वान खंडपीठ द्वारा बिहार राज्य बनाम दीपक कुमार मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख किया है, जो 2019(1) पी.एल.जे.आर. 664 में रिपोर्ट किया गया है, जिसका पैराग्राफ संख्या 12 नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“12. जिलाधिकारी का आदेश, जैसा कि सूचित किया गया है, किसी भी वैध कारण के अस्तित्व का संकेत नहीं देता है, लेकिन साथ ही, आयुक्त द्वारा अपील में पारित आदेश से संकेत मिलता है कि पुलिस रिपोर्ट में अपीलकर्ता के लिए किसी विशेष सुरक्षा खतरे या खतरे का कोई उल्लेख नहीं था। इस तरह का आधार, हमारी राय में, लाइसेंस देने के इरादे के विपरीत होगा क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति को वास्तविक खतरा या आसन्न खतरे की धारणा होनी चाहिए, लेकिन यह पर्याप्त होगा यदि आवेदक प्राधिकरण को अपने व्यापार,

पेशे की प्रकृति को ध्यान में रखने और लाइसेंस देने के उद्देश्य के लिए मनाने में सक्षम है, जिस स्थिति का अब 2016 के नियमों के नियम 12 के उप-नियम (3) (ए) के तहत ध्यान रखा गया है। मामले के इस दृष्टिकोण में, लाइसेंस देने या अस्वीकार करने के प्रश्न पर लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा पुनर्विचार करना होगा, जहाँ लाइसेंसिंग प्राधिकारी को उपरोक्त नियमों के अनुसार, पुलिस रिपोर्ट या ऐसे अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, जो उक्त उद्देश्य के लिए आवश्यक हो सकते हैं, मूल्यांकन करने की शक्ति होगी। इसलिए महाधिवक्ता का कहना इस हद तक सही है कि किसी ऐसे कारण के संबंध में सर्वव्यापी घोषणा नहीं की जा सकती है जो संभवतः जो संभवतः लाइसेंस देने से इनकार करने या देने का हिस्सा भी बन सकता है, अर्थात् किसी व्यक्ति के जीवन या संपत्ति को किसी भी खतरे या आसन्न खतरे की संभावना या संभावना। हमारी राय में, ऐसे कारक स्वीकार्य कारक हैं, विशेष रूप से 2016 के नियमों के आलोक में, जो अब इस स्थिति का ध्यान रखते हैं।”

5. इसके विपरीत, हालांकि विद्वान अधिवक्ता उत्तरदाता के लिए-राज्य ने दिनांक 06.07.2018 और 20.12.2021 के विवादित आदेशों का जोरदार समर्थन किया है, हालांकि, प्रस्तुत किया है कि मामले को वापस भेजे जाने की स्थिति में, मामले के उपरोक्त पहलुओं, जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है, की जांच की जाएगी और उचित निर्णय लिया जाएगा।

6. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और ऊपर उल्लिखित कारणों के साथ-साथ मनीष कुमार (उपरोक्त) और दीपक कुमार (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को भी ध्यान में रखते हुए, मैं वर्तमान रिट याचिका को अनुमति देना उचित समझता हूँ, मंडल आयुक्त, मगध प्रभाग, गया द्वारा दिनांक 20.12.2021 को पारित आदेश को रद्द करता है और मामले के उपरोक्त पहलू पर फिर से विचार करने के लिए और याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद, इस आदेश की

एक प्रति की प्राप्ति/पेशी करने के 12 सप्ताह की अवधि के भीतर, कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करने के लिए मामले को मगध मंडल, गया के संभागीय आयुक्त को वापस भेजें।

7. रिट याचिका को उपरोक्त सीमा तक स्वीकार किया जाता है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

एस. एस. बी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।